



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1030]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2017/पौष 7, 1939

No. 1030]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2017/PAUSHA 7, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1588(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 21 अक्तूबर, 2017 में भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1317(अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 21 अक्तूबर, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया था ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के, नियम 45 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"45. वे स्थान, जहां पर कीटनाशी का आयात किया जा सकेगा.- कोई कीटनाशी निम्नलिखित स्थानों में से किसी स्थान से होकर भारत में आयात किया जा सकेगा अन्यथा नहीं, अर्थात्:-

- (i) अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो, गुरुग्राम (गुडगांव), हरियाणा,
- (ii) भारत में समुद्रमार्ग द्वारा आयात किए जाने वाले कीटनाशियों की बाबत चेन्नई बंदरगाह, जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह (मुंबई),

- (iii) भारत में वायुमार्ग द्वारा आयात किए जाने वाले कीटनाशियों की बाबत चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (चेन्नई), छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (मुंबई) और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (नई दिल्ली)।”

[फा. सं. 19-7/2006-पीपी-1]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1650 (अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 586(अ), तारीख 12 अगस्त, 1999,
8. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2006,
9. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006,
10. सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009,
11. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
12. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013,
13. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014,
14. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 5 नवंबर, 2015
15. सा.का.नि. 164(अ), तारीख 15 फरवरी, 2016
16. सा.का.नि. 794(अ), तारीख 12 अगस्त, 2016
17. सा.का.नि. 79(अ), तारीख 27 जनवरी, 2017,
18. सा.का.नि. 106(अ), तारीख 1 फरवरी, 2017, और
19. सा.का.नि. 1129 (अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2017.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2017

G.S.R. 1588(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) was published in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) vide G.S.R. 1317 (E), dated the 17th October, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), dated the 21st October, 2017, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 21st October, 2017;

And whereas, objections or suggestions received from the public were duly considered in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Insecticides (Fourth Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insecticides rules, 1971, for rule 45, the following rule shall be substituted, namely:-
“45. Places at which the insecticides may be imported. - No insecticides shall be imported into India except through one of the following places, namely: -
 - (i) Inland Container Depot, Gurugram (Gurgaon), Haryana,
 - (ii) Chennai Port, Jawaharlal Nehru Port and Mumbai Port (Mumbai), in respect of insecticides imported by sea into India,
 - (iii) Chennai International Airport (Chennai), Chhatrapati Shivaji International Airport (Mumbai), Indira Gandhi International Airport (New Delhi), in respect of insecticides imported by air into India”.

[F. No. 19-7/2006 PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:—

1. G.S.R. 474(E), dated the 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated the 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated the 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated the 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated the 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated the 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586(E), dated 12th August, 1999
8. G.S.R. 548(E), dated the 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated the 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated the 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated the 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated the 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated the 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated the 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated the 15th February, 2016,
16. G.S.R. 794(E), dated 12th August, 2016
17. G.S.R. 79(E), dated 27th January, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017 and
19. G.S.R. 1229 (E), dated 4th October, 2017.